न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 107/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 12.12.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. कस्तूरी बाई पत्नी गोपाल, पुत्री औंकार जाति मेघवाल, निवासी हाण्डिया खेड़ा हाल जखाना तहसील बूंदी जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

1. धनराज आत्मज कस्तूर चंद जाति मेघवाल, निवासी खेड़ला (जमीतपुरा) तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सलीम खान अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम सं0 1

::निर्णय::

दिनांक 18.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख के0पाटन जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–23/2014 उनवान जगना उर्फ जगन्नाथ बनाम धनराज मे पारित निर्णय दिनांक 06.05.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हाण्डया खेड़ा के खसरा नं0 748 रकबा 1.70 है0 भूमि जगना आत्मज औंकार जाति मेघवाल साकिन देह गैरखातेदार के स्थान पर गेरखातेदार जगना की मृत्यु हो जाने से उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर धनराज आत्मज कस्तूरचंद जाति मेघवाल निवासी ग्राम हाण्डया खेड़ा ने उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार (भू0अ0) के0 पाटन के यहां पेश किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) के0 पाटन ने ग्राम हाण्डया खेडा के खसरा नम्बर 748 रकबा 1.70 है0 भूमि जगना आ0 औंकार जाति मेघवाल साकिन देह गैरखातेदार के स्थान पर वसीयत ग्रहिता धनराज आत्मज कस्तूरचंद जाति मेघवाल निवासी ग्राम हाण्डया खेडा के नाम बहैसियत गैरखातेदारी दर्ज करने का दिनांक 6.5.2015 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी कस्तूरीबाई द्वारा यह अपील राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की पेश की गई कि उक्त भूमि पूर्व खातेदार जगना वल्द औंकार मेघवाल के गैरखातेदारी में खाते दर्ज थी। अपीलांट जगना की सगी बहिन व वारिस है, उसके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है। जगना लाऔलाद फोत हो गया। उक्त भूमि अपीलांट के खाते दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन रेस्पो क्रम 1 ने फर्जी तरीके से षडयंत्र रच कर जगना की फर्जी वसीयत के आधार पर न्याय एवं नियमों के विपरीत जाकर अधूरी जांच

के आधार पर तहसीलदार के0 पाटन ने दिनांक 06.05.2015 को निर्णय पारित कर दिया जिसके आधार पर रेस्पो नं0 1 धनराज के नाम इंतकाल संख्या 486 दिनांक 11.05.2015 को दर्ज कर दिया गया, जो गलत है जबकि जगना ने अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयत नहीं की हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा लगातार अपने भाई जगना की मृत्यु उपरांत से चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट के वृद्ध होने से उसका पुत्र रघुनाथ वर्तमान मे काश्त करता है। मृतक जगना उर्फ जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 16.05.1988 को हो चुकी है। मृत्यु के 27 वर्ष बाद फर्जी वसीयत के आधार इन्तकाल खोलने का आदेश देने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार भू–अभिलेख के0पाटन जिला बूंदी का निर्णय दिनांक 06.05.2015 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित भूमि जगना वल्द औंकार मेघवाल के गैरखातेदारी में खाते दर्ज थी। अपीलार्थी जगना की सगी बहिन व वारिस है, उसके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है। जगना लाऔलाद दिनांक 16.5.88 को फोत हो चुका है। जगना द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे कोई वसीयत नही की तथाकथित वसीयत फर्जी है। तहसीलदार ने वसीयत की जांच नही की। तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर तहसील के0 पाटन द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है वृद्ध होने से वर्तमान मे अपीलार्थी का लडका काश्त करता है। उक्त आदेश के विरूद्ध पहले गलत कोर्ट अति0 जिला कलक्टर के यहां अपील पेश कर दिये जाने से विलम्ब हुआ है अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित भूमि का जगना गैरखातेदार दर्ज है। जगना द्वारा धनराज को पुत्र मानते हुये वसीयत की है तथा वसीयत के आधार पर तहसीलदार के0 पाटन द्वारा दिनांक 6.5.2015 को निर्णय पारित किया है जिसकी पालना मे नामा0 सं0 486 खोला गया। अपीलांट ने वसीयत को चेलेन्ज नही किया। अपीलांट ने एक वाद 174/08 एसडीओ के0 पाटन मे पेश किया था जिसे विड्रो कर लिया। एक वादकरण के दो जगह केस नही चल सकते। परीक्षण न्यायालय का निर्णय सही है। हिन्दू सक्सेन एक्ट की धारा 30 (4) के अन्तर्गत गैरखातेदार जगना को वसीयत करने का अधिकार था। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) के0 पाटन ने ग्राम हाण्डया खेडा के खसरा नम्बर 748 रकबा 1.70 है0 भूमि जगना आ0 औंकार जाति मेघवाल साकिन देह गैरखातेदार के स्थान पर वसीयत ग्रहिता धनराज आत्मज कस्तूरचंद जाति मेघवाल निवासी ग्राम हाण्डया खेडा के नाम बहैसियत गैरखातेदारी दर्ज करने का दिनांक 6.5.2015 को निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत

प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''वादग्रस्त भूमि जगना वल्द औंकार मेघवाल के गैरखातेदारी में खाते दर्ज थी जिसको वसीयत ग्रहिता धनराज आत्मज कस्तूरचंद जाति मेघवाल निवासी ग्राम हाण्डया खेडा के नाम बहैसियत गैरखातेदारी दर्ज करने का तहसीलदार भू0अ0 के0 पाटन द्वारा दिनांक 6.5.2015 को निर्णय पारित किया है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार **खातेदार आसामी** अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्दा पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है। ऐसी स्थिति मे गैरखातेदारी मे दर्ज भूमि की गेरखातेदार जगना आ0 औकार द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे की गई वसीयत को विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। परीक्षण न्यायालय ने भी उक्त कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिंक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार भू0अभि के0 पाटन द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 6.5.2015 एंव निर्णय की पालना मे एक्त विवेचित विवादित भूमि का तस्दीक इंतकाल संख्या 486 दिनांक 11.05.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार के0पाटन जिला बूंदी को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विवादित भूमि की मौके की जांच कर विधिक तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा